

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
क्रमांक-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/3864

दिनांक: 12/08/2019

-आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है-

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री राहुल गोयल	सफाई कर्मचारी	फलीदी	जोधपुर
2.	श्री दिनेश सांगला	सफाई कर्मचारी	फलीदी	जोधपुर
3.	श्री रवि खराडिया	सफाई कर्मचारी	महवा (स्थानान्तरणाधीन)	केशोरायपाटन
4.	श्री बाबूलाल कुमावत	फायरमैन	लोसल	एपीओ निदेशालय

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 12/06/2019

क्रमांक : प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/3865-3881

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि. राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाक्षी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका.....
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग.....
6. संबंधित कर्मचारी.....
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मेणा)

उप निदेशक (प्रशासन)